



2026:AHC:125772

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

फौजदारी विविध जमानत आवेदन संख्या – 17490 वर्ष 2026

उपदेश सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: रक्षा चौहान, ऋषि कांत राय, उपेन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि कांत राय, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. (अपर शासकीय अधिवक्ता) श्री सुरेंद्र सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, परिवाद मामला संख्या 1213 वर्ष 2010, धारा 302, 201 आईपीसी, थाना मोहम्मदाबाद, जिला फर्रुखाबाद में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर अवमुक्त करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एफआईआर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई थी और सह-आरोपी अंजू देवी और महेश सिंह को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा 25.12.2007 को अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई थी, हालांकि, प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा विरोध याचिका दायर किए जाने पर, इसे एक शिकायत के रूप में माना गया और आवेदक तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों को 19.8.2017 को विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार और इच्छुक है। आवेदक 07.4.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. प्राथमिकी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत एक आवेदन के माध्यम से पंजीकृत की गई थी, पुलिस द्वारा 25.12.2007 को अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई थी, हालांकि, प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा विरोध याचिका दायर किए जाने पर, इसे एक शिकायत के रूप में माना गया और आवेदक तथा अन्य आरोपी व्यक्तियों को विचारण का सामना करने के लिए तलब किया गया। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक और तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों पर सदेह के आधार पर मृतक राजेश की हत्या करने का आरोप है। सह-आरोपी अंजू देवी और महेश सिंह को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जमानत देने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2025 एससीसी आनलाइन एससी 3038 में प्रकाशित कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो के मामले में दिए गए निर्णय के समादेश और 2024 एससीसी आनलाइन इला. 6765 में प्रकाशित माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर अवमुक्त होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक उपदेश सिंह को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि के एक व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर अवमुक्त किया जाए:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- (i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जा सके, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
- (ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जाँच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
- (iii) जमानत पर अवमक्त होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को अंजाम देने में लिप्त नहीं होगा।
- (iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. मुचलके स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतीदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ जमानतीदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र अवमुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अवर न्यायालय अवमुक्ति आदेश को बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2024) 10 एससीसी 685 में प्रकाशित पॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल इन री: सुओ मोटो रिट पिटीशन (आपराधिक) नंबर 4 ऑफ 2021 निर्णय दिनांक 31.01.2023, के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में, इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजे।

5 जून, 2026

मधुरिमा

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित:

मधुरिमा गर्ग

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"